Objection to REQUEST REJECTED as on 16/07/2025

1 message

Mahesh Pratap Singh <yogimpsingh@gmail.com> 17 July 2025 at 15:12
To: hearingcourts5.upic@up.gov.in, Sandeep Verma <raz.9125@gmail.com>, ldartionline@gmail.com, "raghavsangeeta160@gmail.com" <raghavsangeeta160@gmail.com>

UTTAR PRADESH INFORMATION COMMISSION
Second Appeal under section 19(3) of the Right to Information Act, 2005
Appeal Registration Number - A-20240701538
File Number - S05/A/0512/2024
Court of hearing: S-5
Date of hearing: 23rd July 2025
Applied Date : 20/07/2024 11:27:38 AM
Yogi M P Singh versus Public Information Officer Office - Housing and Urban Planning Department,Lucknow District,पिन कोड : 226012
Subject-Objection to REQUEST REJECTED as on 16/07/2025 by the public information officer Sangeeta Raghav of Lucknow Development Authority.
Short submissions of the appellant are as follows.
1- Most respected sir, public information officer denied information by taking recourse to Rule 4(2)(b)(ii). of Uttar Pradesh RTI rules 2015 with the following remark.
Remarks:- . The information sought should not require carrying out new interpretation or analysis of existing data, or drawing of inferences, making of assumptions, or providing advice or opinion based on existing data; or
2- Most respected sir, public information officer rejected the rti application on 16th July 2025 and this RTI application was submitted by the appellant online on 10th February 2024 obvious from the following status of the online rti application.
Registration Number LKDPA/R/2024/60085
Name Yogi M P Singh
Date of Filing 10/02/2024
Status REQUEST REJECTED as on 16/07/2025
3- Most respected Sir, the appellant sought the following information from the public information officer.
1-L.D.A. may provide the details of title suit filed by multi-named lady Anuradha Singh in the record of L.D.A. Guddi Singh including the designation, name of the public staff who executed it with posting detail.
Submission-The High court has ordered in the Writ Petition Number 135 HC Year 2006 to Anuradha Singh to title suit in the competent court to get the possession of the house. LDA has executed the registry implies title suit finalised by the competent court. Now what is the problem in providing court details and copy of the order of court.
2-L.D.A. may provide the copy of the order passed by the competent court deciding the title suit of the Anuradha Singh in the compliance of the High court order in the Writ Petition Number 135 HC Year 2006.
3-L.D.A. may provide the detail of the posting of the staff executing the registry of impugned plots to allottees with designation and name so that accountability may be fixed. The registry

of the plots executed by the public authority so details of the public staff who executed the registry might be available to the public authority.
4-Detail of the committee setup to check the irregularities including name, designation and posting details of its members which may include date of joining the department. If the Lucknow Development Authority has set up the committee, then details of the members of the committee must be available to the Lucknow Development Authority.
5-PIO may provide the details of government functionaries nominated the members of the committee including posting details and stipulated time given to the committee to complete the enquiry. Such details must be available to the Lucknow Developmeent Authority if it has set up a committee to enquire the matter of corruption.
4-Most respected sir, Dinesh Pratap Singh S/O Angad Prasad Singh who is the claimant of the plot of the land quite obvious from the order passed by the Lucknow bench of the High court of judicature at Allahabad in the Writ Petition Number 135 HC Year 2006. In the Writ Petition Number 135 HC Year 2006 filed in the Lucknow bench of the High court of Judicature at Allahabad filed by Anuradha Singh also named Guddi also named Aradhana Singh through her mother Beena Singh wife of Brijraj Singh also Beena Singh wife of Netrpal Singh. Whether in the same matter, to get remedy from various redressal bodies and get public aid by changing the name is not illegal? In the aforementioned writ, Anuradha Singh was directed by the High court of judicature to seek civil remedy from competent authority by filing a title suit before competent court
5- It is obvious from the arbitrarily rejection of the rti application by the public information officer that she is concealing the corrupt deeds of the staff of the Lucknow development authority.
Date 17/07/2025 O God help me

Yogi M. P. Singh, Mobile number- 7379105911

---

noticestopio.pdf
307K

(अपील संख्या एस 5/ए/0512/2024)

श्री योगी एम0पी0 सिंह बनाम ज0सू0अधि0 कार्यालय उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

समक्षः श्री पदुम नारायण द्विवेदी, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आदेश

पुकार करायी गयी। उभय पक्ष अनुपस्थित है। अतः न्यायहित में आज कोई प्रतिकूल आदेश पारित नही किया जा रहा है, तद्नुसार इस मामले में प्रतिवादी पक्ष को मा0 आयोग के पूर्व आदेश दिनांक 10.10.2024 की प्रति संलग्न कर **अंतिम अवसर** देते हुए पुनः नोटिस जारी की जाये कि उक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

अपील वास्ते अगली सुनवाई हेतु दिनांक 23.07.2025 को पेश हो।

19.05.2025

(अपील संख्या एस 5/ए/0512/2024)

श्री योगी एम0पी0 सिंह बनाम ज0सू0अधि0 कार्यालय उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

समक्षः श्री पदुम नारायण द्विवेदी, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आदेश

पुकार करायी गयी। उभय पक्ष अनुपस्थित है। अतः न्यायहित में आज कोई प्रतिकूल आदेश पारित नही किया जा रहा है, तद्नुसार इस मामले में प्रतिवादी पक्ष को मा0 आयोग के पूर्व आदेश दिनांक 10.10.2024 की प्रति संलग्न कर **अंतिम अवसर** देते हुए पुनः नोटिस जारी की जाये कि उक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

अपील वास्ते अगली सुनवाई हेतु दिनांक 19.05.2025 को पेश हो।

06.03.2025

(अपील संख्याः एस-5/0512/ए/2024)

श्री योगी एम.पी. सिंह बनाम **ज0सू0अधि0 कार्यालय- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, जनपद- लखनऊ।**

समक्षः श्री पदुम नारायण द्विवेदी, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आदेश

पुकार करायी गयी। उभयपक्ष अनुपस्थित है। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि आयोग के आदेश दिनांकः 31.12.2024 **की प्रति संलग्न करते हुए** उभयपक्षों को नोटिस जारी की जाए कि वह प्रकरण की अगली सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रकरण में पृथक-पृथक बिन्दुवार लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में प्रकरण में अग्रिम आदेश पारित किये जा सकते हैं।

अपील वास्ते अगली सुनवाई हेतु दिनांकः 06.03.2025 को पेश हो।

28.01.2025

(अपील संख्याः एस-5/ए/0512/2024)

श्री योगी एम पी सिंह बनाम **ज0सू0अधि0/कार्यालय उपाध्यक्ष, लखनऊ विश्व विद्यालय, लखनऊ।**

समक्षः श्री पदुम नारायण द्विवेदी, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आदेश

पुकार करायी गयी। उभयपक्ष अनुपस्थित है। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि **आयोग का आदेश दिनांकः 10.10.2024** की प्रति संलग्न कर उभयपक्षों को **अंतिम अवसर देते हुए** नोटिस जारी की जाए कि वह प्रकरण की अगली सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रकरण में पृथक-पृथक बिन्दुवार लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में प्रकरण में अग्रिम आदेश पारित किये जा सकते हैं।

अपील वास्ते अगली सुनवाई हेतु दिनांकः 28.01.2025 को पेश हो।

31.12.2024

(अपील संख्याः एस-5/ए/0512/2024)

श्री योगी एमपी सिंह बनाम ज0सू0अधि0 कार्यालय- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

समक्षः श्री पदुम नारायण द्विवेदी, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आदेश

पुकार करायी गयी। उभयपक्ष अनुपस्थित है। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि आयोग के आदेश दिनांकः 10.10.2024 की प्रति संलग्न कर उभयपक्षों को अवसर देते हुए नोटिस जारी की जाए कि वह प्रकरण की अगली सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रकरण में पृथक-पृथक बिन्दुवार लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में प्रकरण में अग्रिम आदेश पारित किये जा सकते हैं।

अपील वास्ते अगली सुनवाई हेतु दिनांकः 31.12.2024 को पेश हो।

28.11.2024

(अपील संख्या एस5/ए/0513/2024)

श्री विजय कुमार सिंह बनाम ज0सू0अधि0 कार्यालय उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

समक्षः श्री पदुम नारायण द्विवेदी, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आदेश

पुकार करायी गयी। अपीलकर्ता उपस्थित हैं। प्रतिवादी पक्ष अनुपस्थित हैं। अपीलकर्ता का कथन है कि उनके मूल आवेदन के क्रम में वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। आयोग की ओर से दिनांक–23.09.2024 को प्रतिवादी जन सूचनाधिकारी को नोटिस जारी की गयी, फिर भी प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को न तो सूचनाएं दी और न ही आज सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए।

अतः न्यायहित में जनसूचना अधिकारी, कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को अपीलकर्ता के मूल आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए नोटिस जारी की जाए कि वह अपीलकर्ता को उनके मूल आवेदन के क्रम में नियमानुसार सम्पूर्ण सूचनाएं अगले **दो सप्ताह** के अंदर पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करें तथा प्रकरण की **अगली सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष सूचनाओं की प्रति व भेजे जाने का प्रमाण प्रस्तुत करें,** अन्यथा की स्थिति में क्यों न आपके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) व 20(2) के तहत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अपील वास्ते अगली सुनवाई हेतु दि0 27.11.2024 को पेश हो।

10.10.2024